न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/2026 दायर तारीख– 02.02.2026

उनवान

श्योदान पुत्र चन्दर जाति अहीर निवासी टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान। **प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक : 10.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह शेखावत के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट निम्नानुसार है कि आराजी खसरा नम्बर 61/1022/0.15 वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा में स्थित जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 61/1022/0.15 हैक्ट0 वाके मोजा टसकोला तहसील पावटा की भूमि में प्रार्थी सं. 01 का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी सम्पूर्ण है, जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त खसरा नम्बर 61/1022/0.15 हैक्ट0 वाके मोजा टसकोला तहसील पावटा की भूमि के राजस्व रिकार्ड नक्शे में आपसी सहमति से बंटवारा किया गया था, जिसमें आपसी सहमति से बंटवारे के समय प्रस्तावित नक्शे में मौके की स्थिति को सही दर्शाया गया था जिस पर सभी पक्षकारान ने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की थी, लेकिन उक्त बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि खसरा नम्बर 61/1022/0.15 हेक्ट0 का राजस्व रिकार्ड नक्शे में अंकन करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन/तकनीकी खामी के कारण उक्त आराजी की राजस्व रिकार्ड नक्शे में सही स्थिति नही दर्शाई अर्थात आराजी खसरा नम्बर की स्थिति को गलत दर्ज कर दिया है, जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर सरकारी योजनाओं/किसान केडिट पर लोन देने के लिए उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा निकलवाया तो राजस्व नक्शा व मौका स्थिति गलत पाई गई, जिसको दुरूस्त करवाने के लिए जब प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों से सम्पर्क किया तो राजस्व कर्मचारियों ने साफ इन्कार हो गये। गत सप्ताह प्रार्थी को राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व नक्शें को दुरूस्त करने से मना कर दिया तो प्रार्थी श्रीमान के समक्ष बिना देरी किये मान्य न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है, इसमें प्रार्थी की भूमि के राजस्व नक्शे को दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नियत कोर्ट फीस पर पेश है जिसका मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार हांसिल है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 61/1022/0.15 हैक्ट भूमि वाके मोजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के राजस्व नक्शे को दुरूस्त कर, बंटवारे के अनुसार सही स्थिति, हाल राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय दस्जावेयात पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त प्रकरण में बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है है कि जिम्मन नं. 01 व 02 राजस्व रिकार्ड के तथ्य है स्वीकार है। जिम्मन नं. 03 में यह है मूल खसरा नम्बर 61 रकबा 0.65 हैक्ट0 था जो आपसी सहमति विभाजन से खसरा नम्बर 61/1020 रकबा 0.42 हैक्ट0 , 61/1021/0.04 हैक्ट0, 61/1022 रकबा 0.15 हैक्ट0, खसरा नम्बर 61/1023/0.04 हैक्ट0 बनाया गया। मूताबिक बंटवारानामा सलंग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है।

3. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 61/1022/0.15 हैक्ट भूमि वाके मोजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के राजस्व नक्शे को दुरूस्त कर, बंटवारे के अनुसार सही स्थिति, हाल राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

4. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार पावटा से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। आराजी खसरा नंबर 61/1022/0.15 हैक्ट0 भूमि वाके मोजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के राजस्व नक्शे को दुरूस्त कर, आपसी सहमति से किये गये बंटवारा अनुसार हाल राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत समझते है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 61/1022/0.15 हैक्ट0 भूमि वाके मोजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जाता है कि अप्रार्थी/परोकार राज. सरकार/तहसीलदार पावटा से प्राप्त जवाब के साथ संलग्न नक्शा अनुसार (आपसी सहमति विभाजन में प्रस्तावित नक्शे अनुसार) राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदानुसार पालनार्थ तहसीलदार पावटा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै ईजलास सुनायाा गया ।

(डॉ साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़